बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना–14

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail- cadbihar@bihar.gov.in

का०आ०सं०–: उ०प्र०नि०–(स्था०)–01–77 / 2024– पटना, दिनांक.........................2026

–:: कार्यालय आदेश ::–

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(3)(क) के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की दिनांक–16.03.2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कैप्टन शिव प्रकाश (सेवानिवृत मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक) का सेवानिवृति उपरांत विज्ञापन के माध्यम से बिहार उड्डयन संस्थान के मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक (वेतन स्तर–13) के पद पर मात्र 01 (एक) वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ संविदा नियोजन किया जाता है :–

1. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन उपरोक्त संकल्प की कंडिका–3(2)(क)(V) तथा 3(2)(ख)(V) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति होने तक के लिए किया जाता है। अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा समाप्त की जा सकेगी।
2. सरकारी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विशेष परिस्थिति में यदि किसी अभ्यर्थी के संविदा नियोजन हेतु, चयन समिति द्वारा अनुशंसा, संकल्प की कंडिका–3(4)(i-iv) के तहत अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद की गई है, तो उक्त कंडिका के आलोक में संवर्ग नियंत्री विभाग से सूचना प्राप्त कर लेने तथा किसी प्रकार के आरोप / दण्ड की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
3. कै० प्रकाश का मासिक मानदेय वही होगा, जो संकल्प की कडिका 3(6)(i) तथा 3(7)(ii) के आलोक मे देय है तथा अन्य सेवा शर्तें संकल्प के प्रावधानों के आलोक में लागू रहेंगे।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–1012 दिनांक–27.01.2022 के आलोक में संविदा नियोजन के उपरांत भी योगदान की तिथि तक उनके विरुद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहत दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड (लघु / वृहत) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता हो तो वैसी परिस्थिति में विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन प्रभावी होगा।
6. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. संविदा नियोजित कै० प्रकाश को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
8. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा एवं केवल सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में उक्त संकल्प की कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(कृ०पृ०प०)

9. संविदा नियोजित कै० प्रकाश को कोई वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11899 दिनांक–06.10.2021 का अनुपालन विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के लिए आवश्यक किसी प्रकार के लाईसेंस/मेडिकल आदि की वैधता DGCA द्वारा अस्थायी/स्थायी रूप से समाप्त किये जाने अथवा अयोग्य घोषित किये जाने की स्थिति में उस अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ/मानदेय देय नहीं होगा अथवा विशेष परिस्थिति में कै० शिव प्रकाश का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

ज्ञापांक :– उ०प्र०नि०–(स्था०)–01–77/2024– 48 पटना, दिनांक 24/03/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कै० शिव प्रकाश, सेवानिवृत मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक/लेखा शाखा, सिविल विमानन विभाग/~~निकासी एवं~~ व्ययन पदाधिकारी, सिविल विमानन विभाग/उत्तरदायी प्रबंधक, बिहार उड्डयन संस्थान/आई० टी० मैनेजर, सिविल विमानन विभाग (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/26
(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव